

उत्तर प्रदेश शासन  
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1241/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.204-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(259)-2022

लखनऊ: दिनांक: 31 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-837/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(07)-2017 दिनांक-30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में-


- (i) क्रमांक 102 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्:-

"जलीय खाद्य, जिसके अन्तर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी हैं, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य घास, सूखीघास और पुआल, पूरक और योजक, गेहूं की भूसी और डीऑइल केक-[चावल की भूसी से भिन्न]";

- (ii) क्रमांक 102ख और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"102ग	2302, 2309	चिल्का सहित दालों की भूसी, चुन्नी या चूरी, खंडा सहित सांद्र"।

2. यह अधिसूचना तारीख 1 जनवरी, 2023 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,  
  
(नितिन रमेश गोकर्ण)  
प्रमुख सचिव